

क्रमांक : प० 22(६)संसद / 86

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक : १६ | ४ | १८

:: परिपत्र ::

विषयः— राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 की धारा 26-क के तहत राजस्थान अधिनियमों के अधीन बनाए गए समस्त नियमों के लिए जारी की गयी अधिसूचनाओं / विज्ञप्तियों की प्रतीक्षा विधान सभा के पटल पर रखने बाबत्।

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का सप्तम् सत्र गुरुवार, 2016 से प्रारम्भ होने जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से वे समस्त सूचनाएं जो किन्हीं विधियों अथवा नियमों के अन्तर्गत जारी रखी हैं तथा जिनका विधान सभा से अनुसमर्थन अपेक्षित है अथवा जो विधान सभा के पटल पर रखी जानी है, उन्हें विधान सभा सत्र आरम्भ होने से पूर्व विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं करवायी जानी है।

इस संबंध में राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियमावली का नियम-169 निम्न प्रकार उद्धृत है :-

“169. विनियम, नियम आदि का मेज पर रखा जाना:-

(1) जब संविधान के या विधान सभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधान कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि सदन के सामने रखी जाये, तो संविधान का तत्संगत अधिनियम में उल्लिखित कालावधि जिसके लिए उसके रखे जाने की अपेक्षा हो, सदन अधिविष्टतकाल के हिए स्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने के पहले पूरी की जायेगी, जबकि संविधान या संन्त अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो।

(2) जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जायेंगे जब तक कि कथित कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जाये।

उपरोक्त प्रतीक्षा नियमों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा किसी राजस्थान अधिनियम के अधीन बनाए गये समस्त नियमों के लिए जारी की गयी अधिसूचनाओं / विज्ञप्तियों की प्रतियां विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किए जाने के संबंध में राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 26-क जो कि राजस्थान राजपत्र दिनांक 30.1.1993 को जारी की गयी है, निम्न प्रकार उद्धृत की जाती है:-

“26-(क) नियमों का राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना:-

(1) किसी राजस्थान अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष कुल चौदह दिन की कालावधि के लिये, जो एक या अधिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उक्त कालावधि के दौरान राज्य विधान मण्डल उनमें कोई उपान्तरण करता है तो, तत्पश्चात् वे नियम, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात को विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे।

(2) जहाँ राजस्थान राज्य में प्रवृत्त या लागू और ऐसे मामलों से, जिनके कि बारे में राज्य विधान मण्डल को राज्य के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्राप्त है, संबंधित कोई भी केन्द्रीय अधिनियम राज्य सरकार को उसके अधीन नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है वहाँ उपधारा (1) के उपबन्ध, ऐसे अधिनियम में तत्पानीय किसी भी स्पष्ट उपबन्ध के, अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा उस शक्ति का प्रदान करते हुए बनाये गये नियमों पर यथाशक्य लागू होंगे।”

राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 की उपरोक्त उद्धृत धारा 26-क के निर्देश सामान्य उपायोजन के लिए लागू किये गये हैं। इस प्रावधान के अलावा कतिपय अधिनियमों या उन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में यह निर्देश हो सकता है कि कोई विशिष्ट आदेश (अधिसूचना) सदन के पटल पर अनुसमर्थन हेतु रखा जाना है। ऐसे निर्देश की पालना में उक्त विशिष्ट आदेश जिस अधिसूचना से प्रकाशित होंगे, वह अधिसूचना भी सदन के पटल पर रखी जायेगी। उदाहरणतया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वीं धारा 23 के अन्तर्गत जारी आदेश सदन के पटल पर रखे जाने का प्रावधान निश्चित किया हुआ है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण/विशिष्ट शासन सचिवगण का ध्यान उपरोक्त अंकित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में आकर्षित करते हुए निवेदन है कि उनके द्वारा निम्न निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल पूरी करनी चाहिए:-

1. वे समस्त अधिसूचनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान अधिनियम अथवा राजस्थान राज्य में प्रवृत्त या लागू कोई भी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन बनाए गए उन समस्त नियमों या संघानों के लिए जारी की गयी, जो आने वाले विधान सभा सत्र से पूर्व तथा पिछले सत्र की समाप्ति के बाद विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गयी हैं तथा जिनका विधान सभा से अनुसमर्थन अपेक्षित हो अथवा जो विधान सभा के पटल पर रखी जाना उपयुक्त समझी जाए, उनकी पांच प्रतियाँ विधान सभा के सत्र आरम्भ होने की तिथि से पूर्व ही विधानसभा सचिवालय को भिजवा दी जाए।
2. विधान सभा सचिवालय को भेजी जाने वाली अधिसूचनाओं की दो प्रतियाँ माननीय प्रभारी मंत्री नहीं द्वारा से अधिप्रमाणित कर भिजवायी जानी चाहिए।
3. विधान सभा सचिवालय को भेजी जाने वाली अधिसूचनाओं के संबंध में माननीय मंत्री महोदय को पूर्व में ही पूरी जानकारी देते हुए उनके साथ विस्तृत चर्चा कर ली जाए।
4. विधान सभा सचिवालय के पटल पर प्रस्तुत की जाने वाली अधिसूचनाओं के विधान सभा के पटल पर सभा के दौरान जिस तिथि एवं समय पर विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उस तिथि एवं समय की जानकारी विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी की गयी दैनिक कार्यसूची के आधार पर जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित किया जाये कि अधिसूचना के प्रस्तुतीकरण के समय संबंधित अधिकारी विधान सभा में उपस्थित रहें, ताकि अधिसूचनाओं के संबंध में किसी भी प्रस्ताव के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाना अथवा तत्संबंधी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।
5. विधान सभा सचिवालय द्वारा किसी अधिनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधि कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये विनियमों, नियमों, उप-नियमों, उप-विधि आदि से संबंधित अधिसूचनाएं एवं तत्संबंधी ज्ञानग्रन्थों सदन के पटल पर रखवाए जाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा विधान सभा सचिवालय को भिजवायी जाती हैं। ऐसे सदन की मेज पर रखवाए जाने वाले पत्रादि के संबंध में संविधान, समाइच्छा आदि के लिए जिस प्रावधान के अन्तर्गत रखवाए जाने हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख कर विधान सभा सचिवालय को भिजवाएं, ताकि उनको सदन की मेज पर रखे जाने में अनावश्यक विलम्बन न हो।

जो अधिसूचनाएं विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत की जाती हैं उनके संबंध में अनुपालना रिपोर्ट से सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव महोदय एवं प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग को भी अवगत कराने का काम करें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

५०८
प्रमुख शासन सचिव

1. समस्त आतिरिक्त मुख्य सचिव
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव
3. समस्त शासन सचिव
4. समस्त विधिवाली शासन सचिव

प्रादेशिक नियमांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विधिवाली सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विधिवाली भाजायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
6. राजित पत्रावली।

ज्ञानग्रन्थ १२।४८।६.
शासन उप सचिव